
[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, dated 06.03.2019

G.S.R.(E)._ In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2019.


(2) Save as otherwise provided in the notification, this notification shall come into force from the date of publication.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules),

I) in clause (a), sub-rule (5) of rule 30, for the words "with the widest circulation", the words "with wide circulation" shall be substituted.

II) in the second proviso to sub-rule (2) of rule (38), for the words "equal to rupees ten lakhs" the words "equal to rupees fifteen lakhs" shall be substituted, with effect from 18.03.2019.

[F. No. 1/13/2013 CL-V, part-I, Vol.II]


06/3/2019

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R.936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R.1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R. 955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018
11.	G.S.R.284 (E)	23-03-2018
12.	G.S.R. 708 (E)	27-07-2018
13.	G.S.R. 1219 (E)	18-12-2018
14.	G.S.R. 144 (E)	21-02-2019

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 06 मार्च, 2019

सा.का.नि. _____(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) अधिसूचना में अभियुक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,

I) नियम 30 के उप-नियम (5) के खण्ड (क) में, "अत्यधिक परिचालन के साथ" शब्दों के स्थान पर "विस्तृत परिचालन के साथ" शब्द रखे जाएंगे।

II) नियम 38 के उप-नियम (2) के दूसरे परंतुक में, तारीख 18.03.2019 से "दस लाख रुपये के समान" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह लाख रुपये के समान" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 1/13/2013-सीएल-V, भाग-I, खंड.II]

के.वी.आर.मूर्ति

06/3/2019
के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 को सा.का.नि. संख्या 250(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01-10-2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29-12-2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25-01-2017
9.	सा.का.नि. 955(अ)	27-07-2017
10.	सा.का.नि. 49(अ)	20-01-2018
11.	सा.का.नि. 284(अ)	23-03-2018
12.	सा.का.नि. 708(अ)	27-07-2018
13.	सा.का.नि. 1219(अ)	18-12-2018
14.	सा.का.नि. 144(अ)	21-02-2019
